

न्यायालय—सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

आप. प्रक. क.—1030/2013

संस्थित दिनांक—12.11.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—मलाजखंड

जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

लक्ष्मणसिंह वल्द मेहताबसिंह धुर्वे, उम्र—29 वर्ष,

निवासी मोहगांव (नाकाटोला), थाना मलाजखंड,

जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक—06/09/2014 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 324, 506 (भाग—दो) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—28.10.2013 को सुबह 9:00 बजे स्थान नाकाटोला रोड़ के किनारे मोहगांव, आरक्षी केन्द्र मलाजखंड अंतर्गत फरियादी बरेलाल को लोकस्थान पर अश्लील शब्दों का उच्चारण कर क्षोभ कारित कर, आहत बरेलाल को खतरनाक साधन के रूप में लोहे की राड से मारकर स्वैच्छया उपहति कारित कर, जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—28.10.2013 को सुबह 9:00 बजे स्थान नाकाटोला रोड़ के किनारे मोहगांव, आरक्षी केन्द्र मलाजखंड अंतर्गत फरियादी बरेलाल जब सितू आदिवासी के साथ बात कर रहा था तो आरोपी ने अश्लील गालियाँ दिया तथा जब उसके द्वारा गाली देने मना किया गया तो आरोपी ने उसे धक्का दिया और लोहे की राड से उसके बांयी कलाई और दाहिने पैर की पिंडरी पर मारा और जान से खत्म देने की धमकी देने लगा। उक्त घटना में फरियादी बरेलाल को बांये हाथ की कलाई और दाहिने पैर की पिंडरी में चोट आयी और खून निकलने लगा। फरियादी बरेलाल द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट थाना मलाजखंड में दर्ज करायी गई। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना मलाजखंड में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक—145/2013 अंतर्गत धारा—294, 323, 324, 506 भा.दं.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया, पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया गया, गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये, आरोपी से घटना में प्रयुक्त सामग्री जप्त किया गया तथा

आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को धारा-294, 324, 506 (भाग-दो) भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी बारेलाल ने आरोपी से राजीनामा कर लिया, जिस कारण आरोपी के विरुद्ध धारा-294, 506 (भाग-दो) भा.द.वि. का अपराध शमन किया जाकर शेष अपराध धारा-324 भा.द.वि. हेतु आगे विचारण किया गया है। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-28.10.2013 को सुबह 9:00 बजे सीना नाकाटोला रोड़ के किनारे मोहगांव, आरक्षी केन्द्र मलाजखंड अंतर्गत फरियादी बारेलाल को खतरनाक साधन के रूप में लोहे की राड से मारकर स्वैच्छया उपहति कारित ?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

5— फरियादी/आहत बारेलाल (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि आरोपी को जानता है। घटना आज से लगभग 5-6 माह पूर्व की है। आरोपी से उसका वाद-विवाद हो गया था, जिसके संबंध में उसके द्वारा थाना मलाजखंड में रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी। आरोपी ने उसे गंदी-गंदी अश्लील गालियाँ दी थी, इसके अलावा कोई घटना घटित नहीं हुई थी। उसके सामने पुलिस ने नजरी नक्शा प्रदर्श पी-1 नहीं बनाया था। उसका इलाज नहीं हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान ली थी। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि जब उसके द्वारा आरोपी को गाली देने से मना किया गया था तो आरोपी ने उसे लोहे की कुछ चीज से मारा था। साक्षी ने पुलिस को प्रदर्श पी-2 का कथन दिये जाने से इंकार किया है। साक्षी ने उसके सामने पुलिस द्वारा प्रदर्श पी-1 का नजरी नक्शा बनाये जाने से इंकार किया है। प्रार्थी को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने उक्त रिपोर्ट लिखाये जाने से इंकार किया है। साक्षी ने स्वतः कथन किया है कि उसने पुलिस को मौखिक वाद-विवाद तथा आरोपी के द्वारा गाली-गलौच करने वाली बात बताया था। इस प्रकार साक्षी ने स्वयं फरियादी व आहत होते हुए भी अभियोजन मामले का किसी भी प्रकार से समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

6— फरियादी/आहत बारेलाल (अ.सा.1) की साक्ष्य करायी गई है, इसके अलावा अभियोजन की ओर से किसी भी चक्षुदर्शी साक्षी या महत्वपूर्ण साक्षी की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। इस प्रकार स्वयं फरियादी/आहत ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। प्रकरण में आरोपी द्वारा कथित लोहे की राड के रूप में खतरनाक साधन का उपयोग कर कथित मारपीट किये जाने का तथ्य प्रकट नहीं होता है। ऐसी दशा में आरोपी के विरुद्ध कथित धारदार साधन के द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करने का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

7— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि कथित घटना दिनांक व स्थान में आरोपी ने आहत बारेलाल को खतरनाक साधन के रूप में लोहे की राड से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित। अतएव आरोपी को धारा-324 भा.द.वि. के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

8— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

9— प्रकरण में जप्तशुदा लोहे राड मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट